(9)

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02.11.2017 30.12.17	**उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।** **R.M.A.Case No. - 26/2016-17** निर्मल सोरेन बनाम माघी तुरी एवं अन्य आदेश प्रस्तुत वाद RMA - 26/2016-17 निर्मल सोरेन, पिता–गोमस्ता सोरेन, ग्राम– पाथरचापड़ा, पो0– धाँधडा, थाना–जामताड़ा अनुमंडल एवं जिला–जामताड़ा द्वारा माघी तुरी पति– स्व0–संतु तुरी एवं अन्य एक ग्राम–पाथरचापड़ा, थाना–जामताड़ा अनुमंडल एवं जिला– जामताड़ा के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद R.E. 14/2011–12 में दिनांक 24.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया। इस वाद में वाद स्वीकृत के बिन्दु पर सुनवाई अपेक्षित है। अभिलेख में संधारित कागजात का अवलोकन किया तथा अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। मौजा– पाथरचापड़ा खाता सं0–25, दाग सं0–291 रकवा 2.62 एकड़ गत सर्वे खतियान में मंगल तुरी, मुचीराम तुरी के नाम से दर्ज है जो माघी तुरी के वंशज है। अपील कर्ता का कहना है कि प्रशनगत जमीन खतियान रैयत मुचीराम तुरी के द्वारा अपीलकर्ता के पिता, गोमस्ता सोरेन को घर आदि बनाने हेतु दिनांक–16.04.1980 को कुरफा पट्टा द्वारा दिया गया है। जिसपर अपीलकर्ता अपने पिता के समय से ही घर बना कर रह रहे है। इतना ही नही उन्होंने खतियान रैयत के वंशज संतुराम तुरी पिता–सुकदेव तुरी, हरी तुरी, पिता–मुचीराम तुरी द्वारा अपीलकर्ता निर्मल सोरेन को नोटरी शपथपत्र से तैयार Deed of relinquishment (नादाबी दलील)के माध्यम से जमीन प्राप्त होन की बात कही गई है। दोनों बातों में काफी भिन्नता है। कुरफा पट्टा द्वारा जमीन अपीलकर्ता के पिता गोमस्ता सोरेन को जमीन प्राप्त होने की बात कही गई है। वहीं नोटरी शपथपत्र द्वारा तैयार	

Deed of relinquishment (नादाबी दलील) के माध्यम से निर्मल सोरेन को जमीन प्राप्त होने की बात कही गयी है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अनुसार कुरफा पट्टा या Deed of relinquishment द्वारा जमीन का हस्तांरण नही किया जा सकता है। विपक्षी माघी तुरी खतियान रैयत के वंशज है एवं निर्मल सोरेन द्वारा उक्त जमीन पर अवैध दखल किया गया है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी के वाद R.E.14/2011-12 में परित आदेश दिनांक–**24.08.2016** में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। वाद को Admission के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

उपायुक्त
जामताड़ा।